मछली पकड़ने के जाल डालना सफलता का पैमाना

भारत में मत्स्य पालन विकास के पथ पर अग्रसर

परिचय:

भारत वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 8 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। पिछले दो दशकों में, भारत मत्स्य पालन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि और परिवर्तन का साक्षी बना है। तकनीकी प्रगति से लेकर नीतिगत सुधारों तक, 2004 से 2024 की अवधि में ऐसी उपलब्धियां रही हैं, जिन्होंने वैश्विक मत्स्य पालन और जलीय कृषि में भारत की स्थिति को मजबूत किया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए 2,703.67 करोड़ रुपये का अब तक का सबसे अधिक कुल वार्षिक बजटीय समर्थन प्रस्तावित किया गया है। यह जलीय कृषि और समुद्री खाद्य निर्यात में अग्रणी के रूप में भारत की उपलब्धि का प्रमाण है!

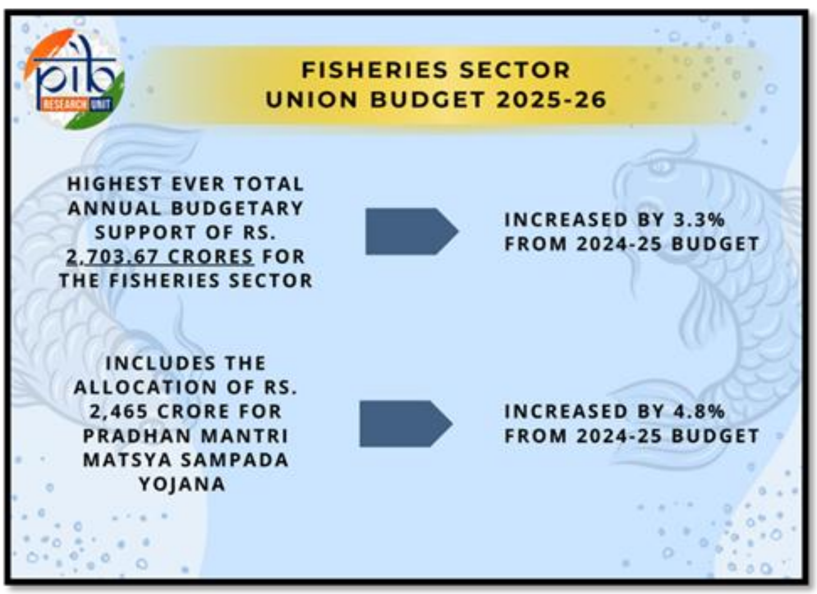

केंद्रीय बजट 2025-26 में "उदीयमान क्षेत्र"

2025-26 के बजट की घोषणा रणनीतिक रूप से वित्तीय समावेशन को बढ़ाने, सीमा शुल्क को कम करते हुए किसानों पर वित्तीय बोझ को कम करने और समुद्री मत्स्य पालन के विकास को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है।

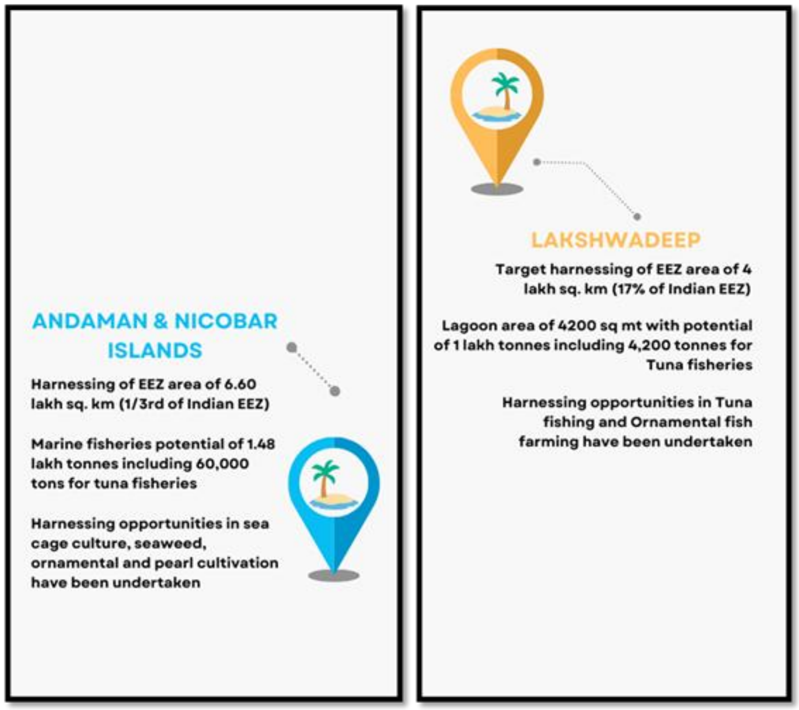

इसके अतिरिक्त, बजट 2025-26 में विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) और खुले समुद्र से मत्स्य पालन के सतत दोहन के लिए एक रूपरेखा को सक्षम करने पर प्रकाश डाला गया है, **जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान दिया गया है। इससे समुद्री क्षेत्र में विकास के लिए भारतीय ईईजेड और आस-पास के खुले समुद्र में समुद्री मछली संसाधनों की अप्रयुक्त क्षमता का सतत दोहन सुनिश्चित होगा।**

भारत सरकार ने मछुआरों, किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं और अन्य मत्स्य पालन हितधारकों के लिए ऋण सुलभता बढ़ाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण सीमा को 3 रुपए लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। इस पहल का उद्देश्य वित्तीय संसाधनों के प्रवाह को सुव्यवस्थित करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्षेत्र की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक धन आसानी से उपलब्ध हो।

सफलता के दो दशक

उत्पादन में वृद्धि: मछली उत्पादन 95.79 लाख टन (2013-14) और 63.99 लाख टन (2003-04) से बढ़कर 184.02 लाख टन (2023-24) हो गया, जो 10 वर्षों (2014-24) में 88.23 लाख टन की वृद्धि दर्शाता है, जबकि 2004-14 में 31.80 लाख टन की वृद्धि हुई थी।

अंतर्देशीय और जलीय कृषि मछली उत्पादन में वृद्धि: अंतर्देशीय और जलीय कृषि मछली उत्पादन में 2004-14 में 26.78 लाख टन की तुलना में 2014-24 में 77.71 लाख टन की जबरदस्त वृद्धि हुई।

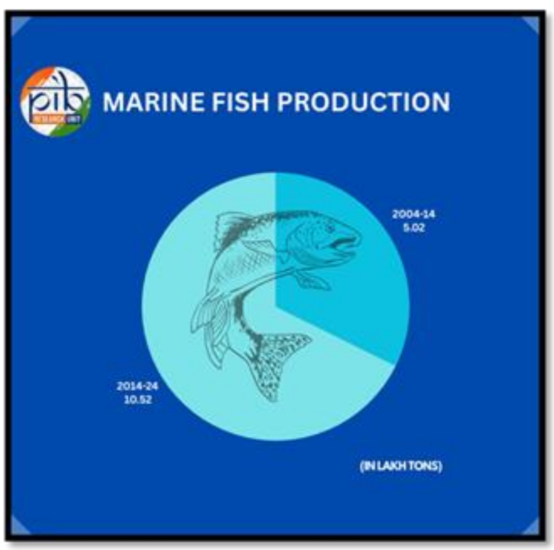

समुद्री मछली उत्पादन 5.02 लाख टन (2014-24) से दोगुना होकर 10.52 लाख टन (2004-14) हो गया।

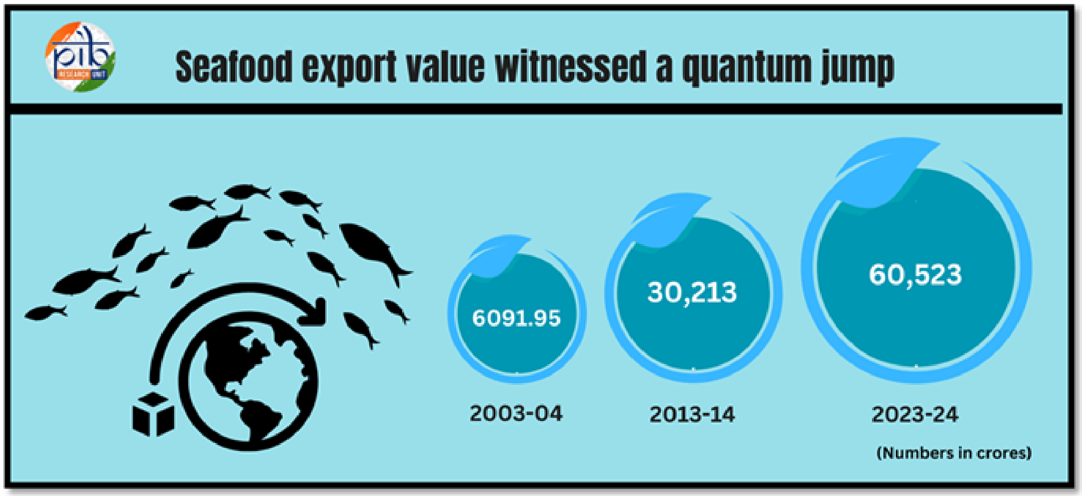

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत ने 60,523.89 करोड़ रुपये मूल्य के 17,81,602 मीट्रिक टन समुद्री खाद्य पदार्थ का निर्यात किया। निर्यात मूल्य में 2003-04 के 609.95 करोड़ रुपये से उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।

नीतिगत पहल और योजनाएँ:

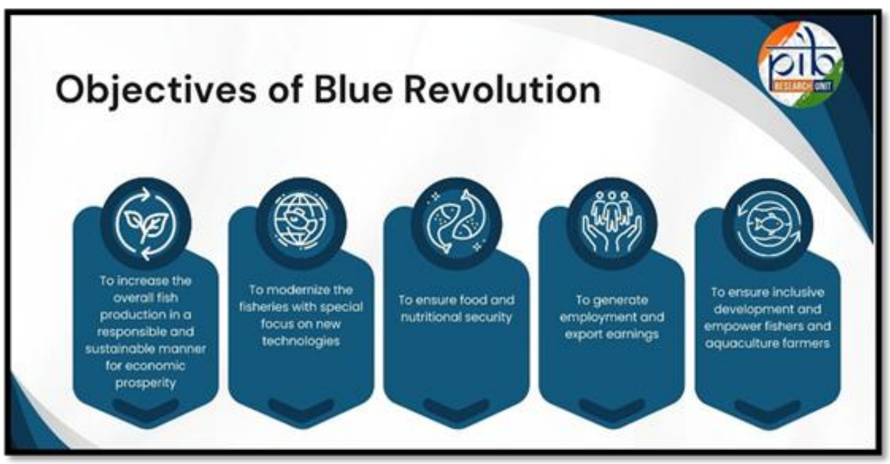

नीली क्रांति: नीली क्रांति योजना मत्स्य पालन क्षेत्र को आर्थिक रूप से व्यवहार्य और मजबूत बनाने की दिशा में पहला कदम था। अपनी बहुआयामी गतिविधियों के साथ, नीली क्रांति मुख्य रूप से अंतर्देशीय और समुद्री दोनों जलीय कृषि और मत्स्य संसाधनों से मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने पर केंद्रित है। नीली क्रांति योजना का वित्त वर्ष 2015-16 में 5 वर्षों के लिए 3000 करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ शुभारंभ किया गया था।

हालांकि, चूंकि इस क्षेत्र में मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करने के लिए सुधारों की आवश्यकता थी; इस प्रकार, मछुआरों, मछली किसानों और अन्य हितधारकों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करते हुए मत्स्य पालन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए 2020 में प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) योजना की कल्पना की गई थी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) को 20,050 करोड़ रुपये के निवेश के साथ पांच वर्ष (2020-21 से 2024-25) की अवधि के लिए लागू किया जा रहा है। यह पहल अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलकृषि के क्षेत्र में मजबूती आधार रखती है, तथा उत्पादन को बढ़ाने तथा मजबूत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देती है।

स्रोत:https://pmmsy.dof.gov.in/#schemeIntro

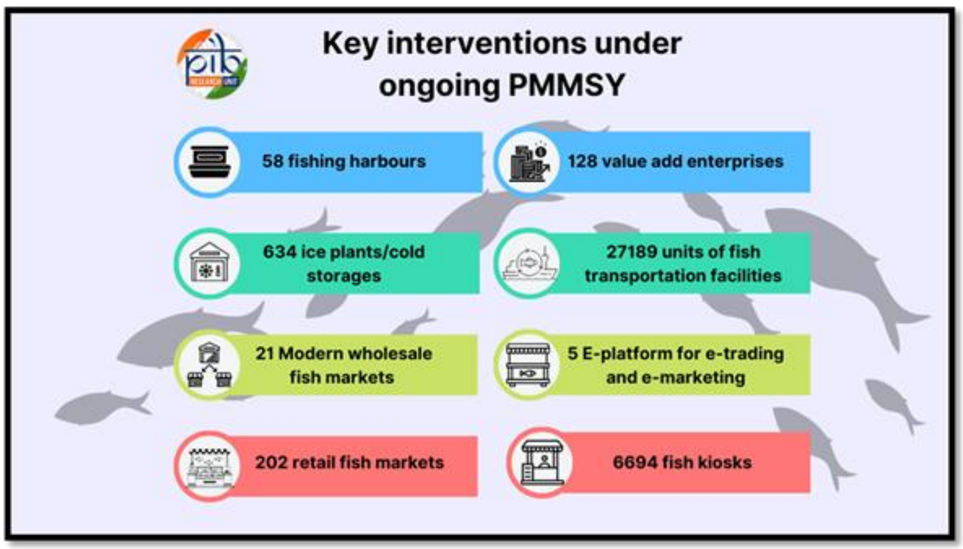

पीएमएमएसवाई के तहत पहल

<u>मत्स्यपालक उत्पादक संगठन (एफएफपीओ)-</u> वर्तमान पीएमएमएसवाई के अंतर्गत, मछुआरों और मछली पालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी लेन-देन क्षमता को बढ़ाने के लिए मछली पालक उत्पादक संगठन (एफएफपीओ) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है, जो अंततः मछुआरों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करता है।

मत्स्यपालन विभाग ने अब तक 544.85 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत पर कुल 2195 एफएफपीओ की स्थापना के लिए स्वीकृति दी है, जिसमें 2000 मत्स्य सहकारी एफएफपीओ और 195 नए एफएफपीओ शामिल हैं। इसके अलावा, मछुआरों और मछली पालकों द्वारा संस्थागत ऋण तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए, 2018-19 से किसान क्रेडिट कार्ड की

सुविधा को मत्स्यपालन तक बढ़ा दिया गया है और आज तक मछुआरों और मछली पालकों को 4,50,799 केसीसी कार्ड स्वीकृत किए गए हैं।

<u>मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ)-</u>

केंद्रीय बजट 2018 में, माननीय वित्त मंत्री ने मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ) की स्थापना की घोषणा की। तदनुसार, 2018-19 के दौरान, एफआईडीएफ नामक एक समर्पित निधि बनाई गई, जिसका कुल निधि आकार 7522.48 करोड़ रुपये है।

मत्स्य पालन विभाग ने विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों और अन्य पात्र संस्थाओं से प्राप्त 3858.19 करोड़ रुपये की ब्याज सहायता के लिए प्रतिबंधित परियोजना लागत के साथ कुल 5801.06 करोड़ रुपये की लागत पर कुल 136 परियोजना प्रस्तावों/परियोजनाओं को मंजूरी दी है। एफआईडीएफ के विस्तार से विभिन्न मत्स्य पालन अवसंरचनाओं के विकास में और तेजी आएगी।

<u>प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना-</u>

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी 2024 में वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2026-27 तक चार वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (पीएमएमकेएसएसवाई) को स्वीकृति दी, यह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की उप-योजना है। पीएम-एमकेएसएसवाई को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 6000 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय के साथ लागू किया जाएगा। पीएम-एमकेएसएसवाई का उद्देश्य लंबी अवधि में मत्स्य पालन क्षेत्र के परिवर्तन का समर्थन करने के लिए संस्थागत सुधार लाने के लिए पहचाने गए वित्तीय और तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से क्षेत्र की अंतर्निहित कमजोरियों को दूर करना है।

<u>पीएमएमएसवाई के तहत एकीकृत जल पार्क-</u>

भारत में मत्स्य पालन विभाग मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत जल पार्कों के विकास को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। ये जल पार्क प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) का हिस्सा हैं और इनका उद्देश्य विभिन्न पहलों के माध्यम से जलकृषि मूल्य श्रृंखला को बढ़ाना है। विभाग ने देश में कुल 682.6 करोड़ रुपये की लागत से कुल 11 एकीकृत जल पार्क स्थापित करने की स्वीकृति दी है।

<u>पीएमएमएसवाई के तहत तैनात कृत्रिम चट्टानें-</u>

कृत्रिम चट्टानें मानव निर्मित संरचनाएं हैं जो समुद्री आवासों और पारिस्थितिकी प्रणालियों को बढ़ाने के लिए समुद्र तल पर रखी जाती हैं। ये संरचनाएं प्राकृतिक चट्टानों की तरह होती हैं और विभिन्न समुद्री जीवों के लिए आश्रय, खाद्य स्रोत और प्रजनन स्थल प्रदान करती हैं। भारत में, मत्स्य विभाग सतत समुद्री मत्स्य पालन संरक्षण प्रयासों का समर्थन करने के लिए तटीय राज्यों में कृत्रिम चट्टानों की स्थापना को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। इन पहलों का उद्देश्य तटीय मत्स्य पालन को फिर से जीवंत करना, मछली स्टॉक का पुनर्निर्माण करना और समुद्री जैव विविधता को बढ़ाना है। मत्स्य विभाग, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण (एफएसआई) और आईसीएआर-केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (सीएमएफआरआई) के तकनीकी समर्थन से, इन परियोजनाओं के माध्यम से स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने और तटीय समुदायों की आजीविका में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है आंध्र प्रदेश, गुजरात, लक्षद्वीप, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 291.37 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

<u>पीएमएमएसवाई के अंतर्गत नामित एनबीसी-</u>

भारत में मत्स्य पालन विभाग ने जलीय कृषि प्रजातियों की आनुवंशिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए विशिष्ट न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर (एनबीसी) नामित किए हैं। ये एनबीसी झींगा जैसी प्रजातियों की उत्पादकता और गुणवत्ता को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो घरेलू खपत और निर्यात दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

तकनीकी प्रगति:

उपग्रह प्रौद्योगिकी एकीकरण: मत्स्य पालन क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग पर मत्स्य पालन विभाग द्वारा पोत संचार और सहायता प्रणाली, ओशनसैट के अनुप्रयोग, संभावित मत्स्य पालन क्षेत्र (पीएफजेड) आदि के लिए राष्ट्रीय क्रियान्वयन योजना।

जीआईएस-आधारित संसाधन मानचित्रण: समुद्री मछली लैंडिंग केंद्रों और मछली पकड़ने के मैदानों के मानचित्रण के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन, प्रभावी संसाधन प्रबंधन में सहायता करना।

मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए डाटाबेस और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) को मजबूत करने की योजना के घटक निम्नानुसार हैं:

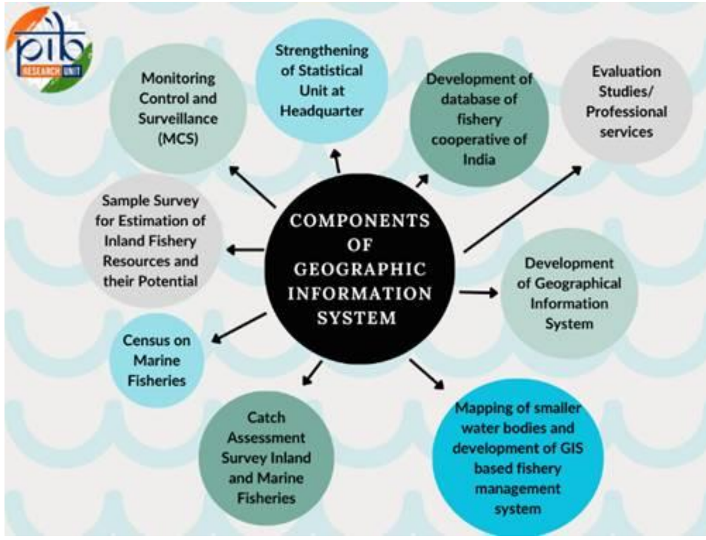

<u>आईसीएआर-केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान (सीआईएफई): उत्कृष्टता का केंद्र</u>

केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान (सीआईएफई), जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी, मत्स्य पालन में उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए भारत का अग्रणी संस्थान है। सीआईएफई ने 4,000 से अधिक मत्स्य पालन विस्तार कार्यकर्ताओं और पेशेवरों को प्रशिक्षित किया है जो देश भर में स्थायी मत्स्य पालन प्रथाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्षमता निर्माण में सीआईएफई की भूमिका भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण रही है।

<u>भारत के सतत मत्स्य पालन प्रयासों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:</u>

समुद्री मत्स्य पालन पर राष्ट्रीय नीति (एनपीएमएफ, 2017): भारत सरकार ने एनपीएमएफ की शुरुआत की है, जो सभी समुद्री मत्स्य पालन कार्यों के लिए मुख्य सिद्धांत के रूप में स्थिरता पर ज़ोर देती है। यह नीति भारत के समुद्री मत्स्य संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन का मार्गदर्शन करती है।

विनियमन और संरक्षण उपाय: समुद्री मछली भंडार की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने कई संरक्षण उपायों को लागू किया है, जिनमें शामिल हैं:

- **मछली पकड़ने पर समरूप प्रतिबंध:** मानसून के मौसम के दौरान ईईजेड में मछली पकड़ने पर 61 दिनों का एकसमान प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि मछली के स्टॉक को फिर से भरा जा सके।
- **विनाशकारी तरीके से मछली पकड़ने पर प्रतिबंध:** जोड़ी में मछली पकड़ने, बुल मछली पकड़ने और मछली पकड़ने में कृत्रिम एलईडी लाइट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध, जो

अत्यधिक मछली पकड़ने को कम करने और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाले नुकसान को कम करने में सहायता करते हैं।

- **स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना:** समुद्री पशुपालन, कृत्रिम चट्टानों की स्थापना और समुद्री शैवाल की खेती जैसी समुद्री कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।
- **राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मत्स्य पालन नियम:** तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने गियर-मेष आकार और इंजन शक्ति विनियमन, मछली का न्यूनतम कानूनी आकार (एमएलएस) और विभिन्न प्रकार के जहाजों के लिए मछली पकड़ने के क्षेत्रों का ज़ोनिंग भी लागू किया है, जो दीर्घकालिक रूप में मछली पकड़ने में योगदान देता है।

निष्कर्ष:

2004 से 2024 तक की अवधि भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए परिवर्तनकारी रही है। नीति कार्यान्वयन, तकनीकी एकीकरण और दीर्घकालिक कार्य प्रणालियों में ठोस प्रयासों के माध्यम से, भारत ने न केवल अपने मछली उत्पादन को बढ़ाया है, बल्कि अपने मछली पकड़ने वाले समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास को भी सुनिश्चित किया है। जैसे-जैसे देश आगे बढ़ता है, नवाचार और **स्थिरता पर निरंतर ध्यान इस ऊपर की ओर प्रक्षेपवक्र को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होगा।**

संदर्भ:

- मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
- https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2055709
- https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2098615
- https://dof.gov.in/blue-revolution
- https://dof.gov.in/sites/default/files/2021-10/Reform_Booklet_English.pdf
- https://dof.gov.in/sites/default/files/2021-10/Reform_Booklet_English.pdf
- https://pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=152138&ModuleId=3&reg=3&lang=1
- https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2099606
- https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2004229

- https://dof.gov.in/schemes/pmmkssy
- http://164.100.192.144/Reports/AquaParkReport
- http://164.100.192.144/Reports/ArtificialReefsReport
- http://164.100.192.144/Reports/NBCReport
- https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2044893
- https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=116328
- https://pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=153438&ModuleId=3&reg=3&lang=1
- https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2075160
- https://dof.gov.in/marine-fisheries
- https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2101794
- https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2101779
- https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2078380

****

एमजी/आरपी/केसी/एसएस/आर